न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी – त्रिलोक चन्द मीना आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 263/2019
दायरी दिनांक : 09.09.2019

अनवान

1 अनोपसिंह पिता गोकलसिंह जाति राजपूत निवासी बागीद तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

––प्रार्थी

बनाम

1 भंवरसिंह पिता भैरूसिंह राजपूत निवासी बागीद तह. माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
2 नंदकवर पत्नी शक्तिसिंह राजपूत निवासी बागीद तह. माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
3 कैलाशसिंह पिता गजसिंह राजपूत निवासी बागीद तह. माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
4 लादुसिंह पिता मनोहरसिंह राजपूत निवासी बागीद तह. माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
5 भूमिधारी तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

––अप्रार्थीगण

उपस्थित :–

1. श्री पवन कुमार जीनगर (अधिवक्ता प्रार्थी)
2. अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।
3. अप्रार्थी संख्या 5 तहसीलदार माण्डलगढ़ की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित।

–: आदेश :–

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक : 28.02.2020

प्रार्थना पत्र प्रार्थी जरिये अभिभाषक प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की एकल खातेदारी की **ग्राम बागीद पटवार मण्डल धाकड़खेडी की सरहद में स्थित खाता संख्या 5 की आराजी संख्या 483/2, 487/2, 489/1, 546/2, 603/487, 785/602 किता 7 रकबा 07 बीघा 15 बिस्वा भूमि** स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त आराजियात के पड़ौसी है जो आये दिन सीमाओ को लेकर एवं फसल काश्त करते समय, काटते समय विवाद करते रहते है इस कारण प्रार्थी उक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है ताकि भविष्य में सीमाओं को लेकर विवाद नहीं रहे। उक्त आराजियात के सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय में वाद विचाराधीन नही है। नियमानुसार पत्थरगढ़ी शुल्क जमा कराने को तैयार है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान करावे साथ में प्रार्थनापत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन नोटिस भेज करवाई गई। विपक्षी संख्या 1 व 4 के बावजूद पूर्व सूचना न्यायालय में अनुपस्थित रहने विपक्षी संख्या 1 व 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। विपक्षी संख्या संख्या 5 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित। प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु निवेदन किया गया। तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा प्रार्थी के उक्त आराजियात के संयुक्त खातेदार काश्तकार होने से पत्थरगढ़ी किये जाने में कोई आपत्ति नही की गई।

पत्रावली में संलग्न **जमाबंदी सम्वत 2072–2075** के अवलोकन से प्रार्थी विवादग्रस्त आराजी का एकल खातेदार है। पडौसियान का विवाद करने का शपथ पत्र संलग्न है। चूंकि प्रार्थी प्रश्नगत भूमि का एकल खातेदार काश्तकार है एवं प्रार्थी द्वारा अपनी कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी करवाने हेतु निवेदन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण में पत्थरगढ़ी कराया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर **ग्राम बागीद पटवार मण्डल धाकड़खेडी की सरहद में स्थित खाता संख्या 5 की आराजी संख्या 483/2, 487/2, 489/1, 546/2, 603/487, 785/602 किता 7 रकबा 07 बीघा 15 बिस्वा भूमि** की बशामलात पडौसियान के पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश दिये जाते है। भू–अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। **कमिश्नर फीस 500/–** रूपये वक्त पत्थरगढ़ी प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100/– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार माण्डलगढ़ को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

आदेश सुनाया गया।

(त्रिलोक चन्द मीना)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Trilok Chand Meena
Date: 2020.02.28 18:03:10 IST
Reason: SelfAttested
Location: